न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 02/2023 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2023/82

उनवान

धनश्याम गुर्जर पुत्र कन्हीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम नयागांव तहसील पीपल्दा,जिला कोटा।

(प्रार्थी)

बनाम

1. सीयाराम पुत्र किशनलाल जाति कीर निवासी कैथूदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार पीपल्दा,जिला कोटा।

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– श्री फिरोज आब्दी (प्रार्थी)
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी (अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आंवटन नियम 1970 वास्ते आवंटन आदेश दिनांक 23.5.1989 निरस्त किये जाने

निर्णय दिनांकः– 22/01/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कैथूदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान में स्थित बवक्त एलोटमेन्ट खसरा न. 16/2 रकबा 1.60 है0 भूमि अप्रार्थी कम 1 को दिनांक 23.5.1989 को आंवटन समिति द्वारा सशुल्क आंवटन गई थी किन्तु उसके बावजूद भी उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त था तथा वर्तमान में भी प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि पर काबिज काश्त था तथा वर्तमान में भी प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान समय मे प्रार्थी द्वारा बोई गई उडद की फसल खडी हुई है।

अप्रार्थी कम 1 को हुए उक्त आवंटन का कोई दखल तत्समय यानी आंवटन के समय नही दिया गया और ना ही वर्तमान में अप्रार्थी कम 1 का कब्जा है।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

उक्त तथ्य की पुष्टि के लिए अप्रार्थी कम 1 द्वार सीमाज्ञान करने हेतु दिनांक 5.6.2023 को नायब तहसीलदार खातोली के यहा जर्ये पुत्र महेन्द्र कुमार द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नायब तहसीलदार के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा मौका देखा गया तो पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य कहा गया कि उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी का कब्जा नही है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान किया जाना संभव नही क्योकी उक्त आराजी पर वर्तमान समय मे भी प्रार्थी का कब्जा है किन्तु उसके बाद अप्रार्थी कम 1 ने पटवारी हलका व ना0 तहसीलदार पर गैरवाजिब दबाव बनाया गया तो उक्त खसरा नम्बर की औपचारिक सीमाज्ञान कर दिया गया। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि मौके पर उक्त खसरा नम्बर का कोई सीमाज्ञान नही किया गया क्योकि उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी की फसल उडद खडी है तथा प्रार्थी का कब्जा है। उक्त भूमि पर आंवटी को कोई दखल नही दिया गया जबकि आवंटी द्वारा 1 माह की अवधि में सक्षम अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए किया गया। लम्बे समय के अन्तराल लगभग 34 वर्ष के बाद मात्र कागजो में कब्जा प्राप्त करने के लिए सीमाज्ञान की कार्यवाही की गई जबकि विवादित आराजी यदि आंवटित भूमि पर पूर्व से ही प्रार्थी काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है।

प्रार्थी को उक्त आंवटन की सर्वप्रथम जानकारी अभी दिनांक 23.08.2023 को हुई जिसके बाद प्रार्थी द्वारा आवंटन की नकल प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आंवटन आदेश दिनांक 23.5.1989 आवंटी सीयाराम पुत्र किशनलाल जाति कीर निवासी कैथूदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा को निरस्त किया जावे एवं प्रार्थी के कब्जाधारी के पक्ष में नियमन हेतु सिफारिश की जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी कम 1 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी द्वारा वकालतनामा पेश किया।

वकील अप्रार्थी कम 1 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी कम 1 सियाराम को भू0आंवटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार ग्राम कैथूदा तहसील पीपल्दा ख.न. 16/2 की 1.60 है0 भूमि आंवटित की गई थी। बाद आंवटन उक्त भूमि पर अप्रार्थी क.1 को नियमानुसार दखल भी दिया गया था, उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है वर्तमान में इस भूमि का नया नम्बर 721/16 कायम किया गया है इस भूमि पर धनश्याम गूर्जर का कभी कब्जा नही रहा है। वर्तमान में भी अप्रार्थी न.1 का ही कब्जा है। आंवटी ने अपनी भूमि की पत्थरगढी करने के लिए भूमि की पैमाइश करवाई थी जिसका आंवटी को पूर्ण अधिकार है।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

आंवटी द्वारा बाद आंवटन नियमानुसार भूमि पर काबिज होकर काश्त करने एवं आंवटन शर्तो की पूर्ण पालना करने के कारण ही आंवटी को इस भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आंवटी अप्रार्थी कम 1 ने अन्य खातेदारो के साथ मिलकर इस भूमि को बैक में रहन रखकर टेक्टर हेतु लोन भी लिया जो अदा भी कर दिया गया है। प्रार्थी ने गलत एवं असत्य तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हे जो मेन्टेनेबल नही है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रार्थना पत्र आंवटन आदेश दिनांक 23.05.1989 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 27.09.2023 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुई है। विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का मुख्य कारण आंवटन आदेश की प्रथम जानकारी आंवटन आदेशकी नकल प्राप्त करने पर होने के कारण विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना अवगत करवाया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद मानी जाती है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी को बहस हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी बहस हेतु उपस्थित हुए न ही कोई लिखित में बहस प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी कम 1 की ओर से उपस्थित वकील अप्रार्थी द्वारा दौरान बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी कम 1 को उक्त भूमि भू0आंवटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन हुई है। आंवटन शर्तो की पालना करने से खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हुए है। खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार अन्तर्गत धारा 14(4) नियम 1970 के तहत प्रार्थी का आंवटन निरस्त नही किया जा सकता है। वकील अप्रार्थी कम 1 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किए :–

1– 1987 आर.आर.डी. 371

2– 2006 (1) आर.एल.डबल्यू (आर.जे.) 268

3– 2008 (2) आर.आर.टी. 834

4– 2024 (2) आर.आर.टी. 1371

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) नियम 1970 वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन आदेश दिनांक 23.5.1989 पेश किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी का आंवटन खारिज किये जाने का मुख्य कारण विवादित आराजीयात् पर निरन्तर कब्जा

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

होने व आंवटन शर्तो की पालना न किये जाना अंकित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आंवटन आदेश निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है। किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अप्रार्थी कम 1 को विवादित आराजीयात् आंवटन सलाहकार समिति द्वारा आंवटन हुई है ओर आंवटन शर्तो की पालना किये जाने पर गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकारी भी प्राप्त हुए है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मत है कि खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार धारा 14 (4) नियम 1970 के तहत आंवटन निरस्त नही किया जा सकता है। वकील अप्रार्थी कम 1 द्वारा इस संबध में न्यायिक दृष्टान्त भी पेश किये जो प्रकरण हूबहू चस्पा होते है।

अतःवकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14(4) नियम 1970 वास्ते आंवटन आदेश दिनांक 23.05.1989 निरस्त किए जाने पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22/01/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा